



क्षेत्रीय कार्यालय: बलदेव निवास कम्पाउण्ड, रीडगज, फैजाबाद - 224001

अचल सम्पत्तियों के लिए सार्वजनिक नीलामी/बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों की प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) (सरफेसी अधिनियम, 2002) साथ में पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 6(2) और/या नियम 8(6) के अधीन नीलामी सूचना

जैसाकि, उक्त कथित सरफेसी अधिनियम, 2020 की धारा 13(2) के अधीन और कथित अधिनियम की धारा 13(2) साथ में पठित नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बड़ौदा यू.पी. बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अथोहस्ताक्षरी द्वारा एक मांग सूचना जारी की जिसमें तथा कर्जदार(रों) और बंधकदाता(ओं)/गारंटीदाता(ओं) को कथित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर कथित सूचना के अनुसार राशि का भुगतान करने को कहा गया। और जैसाकि, कर्जदार(रों)/गारंटीदाता(ओं)/बंधकदाता(ओं) ने राशि का भुगतान नहीं किया और अतः अथोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम की धारा 13(4) साथ में पठित नियमों के नियम 4 और/या नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पत्ति/संपत्तियों (इसके बाद कथित सम्पत्तियों नाम से निर्दिष्ट) का कब्जा ले लिया है और जैसा कि अथोहस्ताक्षरी, सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4)(ए) के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में, कथित सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा बैंक को बकायों की वसूली का प्रस्ताव रखते हैं। एतद्वारा जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार(रों) और गारंटीदाता(ओं)/बंधकदाता(ओं) को सूचना दी जाती है कि निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदारों के पास बंधक/प्रभारित पड़ी है, जिसका रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक अधिग्रहण प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू.पी. बैंक, प्रतिभूत लेनदार द्वारा ले लिया गया है, जिसे निम्नांकित बकायों की वसूली हेतु, निम्नांकित सारणी में अंकितानुसार तिथि को "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो है" और "जो भी है वही है" आधार पर बेचा जाएगा। जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार(रों) और गारंटीदाता(ओं)/बंधकदाता(ओं) को एतद्वारा दोबारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम, 2002 के अधीन निम्नांकित अचल सम्पत्तियों के लिए बोली/निविदाएं/कोटेशनस आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इसलिए, इच्छुक व्यक्तियों/बोलीदाताओं को 26/04/2021 को या उससे पहले, बड़ौदा यू.पी. बैंक, शाखा अकबरपुर, अम्बेडकर नगर में सायं 3.00 बजे मुहरबंद लिफाफे में, निम्नांकित नियम व शर्तों को पूरा करके, अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। निविदा दिनांक 27.04.2021 बड़ौदा यू.पी. बैंक, शाखा अकबरपुर, अम्बेडकर नगर में 03.00 बजे को खोली जाएगी।

बोली क्रम सं.	कर्जदार/बंधकदाता का नाम	सम्पत्ति का विवरण/स्वामी का नाम	(क) मांग सूचना तिथि (ख) अधिग्रहण तिथि (ग) अधिग्रहण स्वरूप सांकेतिक/भौतिक	बकाया राशि (रु.)	आरक्षित मूल्य/ईएमडी (रु.)
शाखा- अकबरपुर, जनपद-अम्बेडकर नगर					
अकबरपुर	मैसर्स निरंकर ट्रेडर्स, प्रोप.- निरंकार पाण्डेय सुपुत्र राम सहाय पाण्डेय (कर्जदार)	1. सांथिक बंधक जमीन व भवन प्लॉट नं. 964, 0.019 हेक्टर, बिक्री विलेख नं. 4586/2008, दिनांक 30.12.2008, गांव- गौसपुर, परगना व तहसील-अकबरपुर, अम्बेडकर नगर में स्थित। पूर्व- सुशीला पाण्डेय का मकान, पश्चिम- रोड, अकबरपुर, उत्तर-घनश्याम की जमीन, दक्षिण- दयाराम व अन्य का खेत। 2. आवासीय प्लॉट नं. 336 का बंधक, बिक्री विलेख नं. 518/2010, दिनांक 21.01.2010, गांव- मोहसिपुर, मंरूपपुर, परगना व तहसील- अकबरपुर, अम्बेडकर नगर में स्थित। पूर्व- अच्छेलाल की जमीन, पश्चिम- श्री राम यादव व अन्य का मकान उत्तर- चन्द्रकांत का मकान, दक्षिण- गली नगर पालिका।	(क) 10.11.2020 (ख) 13.01.2021 (ग) सांकेतिक कब्जा	20,39,800/- + 11.11.2020 से चार्जर्ड ब्याज + अन्य प्रभार व खर्चें (मांग सूचना के बाद जमा राशि घटायेँ)	नं. 1 25,55,000.00 2,55,500.00 नं. 2 10,44,800.00 1,04,480.00

पोस्ट नं- 8874206540

बिक्री के नियम एवं शर्तें: 1. इच्छुक बोलीदाताओं को मुहरबंद लिफाफे में अपनी बोली जमा करनी है। (लिफाफे के ऊपर स्पष्टतः और पठनीय बोली क्रम सं. एवं प्रकाशन की तिथि वर्णित होनी चाहिए) 2. बोलीदाताओं को बोली के साथ अंतिम में अकबरपुर में देययोग्य एवं 'प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू.पी. बैंक' के पक्ष में डीडी/बैंकर्स चेक के रूप में जमा धरोहर राशि के रूप में आरक्षित मूल्य का 10% जमा/लेनान करना होगा। सर्वोच्च बोली मूल्य (आरक्षित मूल्य से कम की नहीं होनी चाहिए) को सफल बोलीदाता के रूप में माना जाएगा और शेष असफल बोलीदाताओं की ईएमडी एक सप्ताह के अन्दर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 3. सफल बोलीदाता को डीडी/बैंकर्स चेक के रूप में अगले दिन बोली रकम (ईएमडी को छोड़कर) का 15% जमा करना होगा और शेष अनिवार्य रूप से बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के अंदर जमा करना होगा, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके द्वारा पूर्व में जमा की गयी रकम जब्त कर ली जाएगी। 4. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये या पूर्व सूचना दिए बोली/सर्वोच्च बोली को स्वीकार/अस्वीकार/रद्द/निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। प्राधिकृत अधिकारी बिक्री/नीलामी की तिथि को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 5. प्राधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के बकाया प्रभारों/देनदारियों/भार/करों/सरकारी बकायों और अन्य पक्ष के दावों व बकायों के लिए जवाबदेह नहीं होंगे। 6. सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से कम में किसी भी रकम पर बेचा नहीं जाएगा। सफल बोलीदाता को सभी स्टाम्प ड्यूटीज एवं पंजीकरण शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा। 7. यदि ऐसा पाया जाता है कि दो या अधिक बोलीदाताओं का एक समान बोली रकम है तो प्राधिकृत अधिकारी उनके मध्य पुनः नयी बोली आमंत्रण करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 8. बोली/बिक्री बैंक की पुष्टि के अधीन होगी। सम्पत्ति को "जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो कुछ है" और "वहाँ जो कुछ भी है" आधार पर बेचा जा रहा है। 9. अगर कोई कर्जदार/गारंटीदाता/बंधककर्ता नीलामी से पहले बैंक को पूर्ण बकाये का भुगतान कर देता है तो नीलामी को रोक दिया जाएगा। हालांकि कर्जदार/गारंटीदाता/बंधककर्ता के पास नीलामी से पूर्व प्रतिभूत आस्तियों को निर्गत करने का अवसर होगा जो प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमों, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (8)(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) संशोधन नियमों, 2002 द्वारा) के अधीन बकाया पूर्ण राशि एवं प्रभारों के भुगतान के अधीन होगा। 10. यह बोलीदाताओं को एकमात्र जिम्मेदारी है कि वे सम्पत्तियों के संबंध में संतुष्ट एवं पुष्ट हो लें। वे अप. 2.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस पर संबंधित शाखा से समय लेकर सम्पत्ति को देख/निरीक्षण कर सकते हैं। 11. यह बिक्री नोटिस कर्जदारों/गारंटीकर्ता (ओं)/बंधककर्ता(ओं) के लिए विशेष रूप से तथा जनता/सर्वसाधारण के लिए समान रूप से है। 12. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदारों की वेबसाइट में प्रदान किए गये लिंक यानी <https://www.barodagraminbank.com/sarfaesinotice.php> देखें।

सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन 30 दिनों की बिक्री सूचना

कर्जदारों/गारंटीदाताओं/कानूनी वारिसों/बंधकदाता(ओं) को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नीलामी से पूर्व बैंक को उपरोक्त वर्णित सभी बकाये का भुगतान करें, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो बंधक सम्पत्ति को वर्णित तिथि को बेच दिया जाएगा और अगर कोई अन्य बकाया शेष होगा तो उसे उचित ब्याज, प्रभारों एवं व्यय के साथ उनसे वसूल किया जाएगा।

दिनांक: 17.03.2021

स्थान: अकबरपुर

प्राधिकृत अधिकारी
बड़ौदा यू.पी. बैंक